कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–कोरिया, बैकुण्ठपुर (छत्तीसगढ़)

(07836–232721 (कार्या.), 232722(फैक्स), (Email ID: Korea.cg@nic.in)

—::आदेश::—

बैकुण्ठपुर, दिनांक 05/05/2020

क्रमांक/3195/एस.डब्ल्यू./2020 ::— स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संपर्क से पिड़ित, संदेही से दूर रहने की सख्त हिदायत है। छ0ग0 शासन के द्वारा भी यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाया जावे। यही कारण है कि COVID-19 के संम्भाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए ना सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में सामाजिक/शारीरिक दूरी (Social/Physical Distancing) को अपनाया जा रहा है। इसी अनुक्रम में जिले में अन्य राज्यों से आ रहे मालवाहक यानों के ड्राईवर/हैल्पर के संबंध में तथा उद्योगों में माल परिवहन में कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु जिले में लोडिंग/अनलोडिंग हेतु रात्रि 9.30 बजे से सुबह 6.00 बजे तक का समय निर्धारित किया जाता है जिसमें निम्नानुसार निर्देशों पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे:–

- अन्य राज्यों/जिलों से आये मालकवाहक यानों के साथ ड्राईवर एवं हैल्पर को लोडिंग/अनलोडिंग पाईट पर ही रूकने हेतु स्थलों का चिन्हांकन किया जाये। ड्राईवर एवं हैल्पर को नगरीय क्षेत्र की सीमा के भीतर न आने की सलाह दी जाए तथा लोडिंग/अनलोडिंग पाईट पर ही रूकने हेतु कहा जाए। उन्हें अन्य व्यक्तियों से मिलने–जुलने एवं अनावश्यक अन्य स्थानों पर जाने से हतोत्साहित किया जाये। पेयजल, खाने–पीने की व्यवस्थाएँ उसी निश्चित स्थान लोडिंग/अनलोडिंग पाईंट/गोदाम के स्वामी द्वारा की जाए।
- अनलोडिंग पाईट पर पर्याप्त जगह उपलब्ध न होने की स्थिति में नगरीय क्षेत्र की सीमा के बाहर उपयुक्त स्थल पर उनके रूकने की व्यवस्था की जाए।
- यथासंभव माल वाहनों से लोडिंग/अनलोडिंग भीड़–भाड़ वाली गलियों या स्थलों पर न की जाए। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड़–भाड़ न हो।
- ड्राईवर, हैल्पर एवं श्रमिकों को कार्यस्थल पर फेसमास्क के उपयोग करने की सलाह दी जाये। सभी वाहनों का सैनिटाईजेशन भी अनिवार्य रूप से कराया जाये।
- उद्योगों में माल परिवहन तथा सीमित संख्या में व्यक्तियों के परिवहन की अनुमति होगी। इसकी अनुमति संबंधित अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
- सभी औद्योगिक परिसरों में भी सैनिटाईजेशन, फेसमास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।

2– इस जिले में हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लॉकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन की अनुमति स्वतः समाप्त हो जावेगी।

5/5/2020

Scanned with CamScanner

दंडिक प्रावधान :–

इस आदेश में उल्लेखित गतिविधियों के संबंध में कोरोना वायरस (कोविड–19) की रोकथाम हतु भारत शासन, राज्य शासन एवं स्वास्थ्य विभाग सहित जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेश, निर्देशों, एवं एड्वाईजरी सहित उपरोक्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। इन लाकडाउन आदेशों एवं निर्देशों के उल्लघंन करते हुये पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जो लागू हों, के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगें।

05/5/2020

(डोमन सिंह)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ.ग.)

पृ. क्रमांक /3196/एस.डब्ल्यू./2020 बैकुण्ठपुर दिनांक 05/05/2020

प्रतिलिपि :–

01– अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
02– प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
06– आयुक्त (रा0), सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
07– पुलिस महानिरीक्षक, सरगुजा संभाग की ओर सादर सूचनार्थ।
08– आयुक्त, आबकारी विभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
09– पुलिस अधीक्षक, कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ
11– अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12– अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13– सर्व मुख्य महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल., जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
14– सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।
15– अनुविभागीय अधिकारी पुलिस चिरिमिरी/बैकुण्ठपुर/मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

Scanned with CamScanner

16— मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

17— समस्त तहसीलदार एव नायब तहसीलदार जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

18— सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

19— आयुक्त, नगरपालिक निगम, चिरमिरी की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

20— सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ एवं सभी उल्लिखित स्थानों पर मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

21— जिला आबकारी अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

22— सर्व कार्यालय प्रमुख जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

23— जिला जनसम्पर्क अधिकारी, जिला कोरिया की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

05/5/2020

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (छ0ग0)

DISTRICT MAGISTRATE

05/05/20

जिला दण्डाधिकारी
जिला कोरिया (बैकुण्ठपुर)

Scanned with CamScanner